

न्यायालय मू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)

तहसील अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 15/2017 GCMS No : 2017/00086

दायरा तिथि : 08.05.2017

फैसला तिथि : 14-5-22

प्रार्थीगण:-

दौलतसिंह, रणजीतसिंह पुत्रगण राजूसिंह, जातिगण राजपूत
निवासीगण चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:-

1. श्री कैलाश कुमावत अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. नायब तहसीलदार, बाली पैरोकार सरकार की ओर से

--: आदेश :-

दिनांक 14-5-22

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम वीरमपुरा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा 1444, 1445, 1446, 1489, 1490, 1495, 1496, 1497, 1498 कुल रकबा 4.4900 हैक्टर में दर्ज पिता का त्रुटिपूर्ण नाम दौलतसिंह, रणजीतसिंह पुत्रगण रामसिंह को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम दौलतसिंह, रणजीतसिंह पुत्रगण राजूसिंह शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में पिता का त्रुटिपूर्ण नाम दौलतसिंह, रणजीतसिंह पुत्रगण रामसिंह दर्ज होने तथा प्रार्थीगण द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का सही व वास्तविक नाम दौलतसिंह, रणजीतसिंह पुत्रगण राजूसिंह दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का त्रुटिपूर्ण नाम दौलतसिंह, रणजीतसिंह पुत्रगण रामसिंह के स्थान पर दौलतसिंह, रणजीतसिंह पुत्रगण राजूसिंह शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकूलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण के पिता का सही एवं वास्तविक नाम दौलतसिंह, रणजीतसिंह पुत्रगण राजूसिंह है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा धारित आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र की प्रतियां पेश कर दी हैं। नामान्तरकरण दर्ज करते समय पिता का त्रुटिपूर्ण नाम दौलतसिंह, रणजीतसिंह पुत्रगण रामसिंह दर्ज है, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम वीरमपुरा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा 1444, 1445, 1446, 1489, 1490, 1495, 1496, 1497, 1498 कुल रकबा 4.4900 हैक्टर में दर्ज पिता का त्रुटिपूर्ण नाम दौलतसिंह, रणजीतसिंह पुत्रगण रामसिंह को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम दौलतसिंह, रणजीतसिंह पुत्रगण राजूसिंह शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रिकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भंदर को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
उपखण्ड अधिकारी
आई.ए.एस.
अभिलेख अधिकारी (राज.)
(एस.डी.ओ.), बाली

मू० अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राज.)
बाली, जिला-पाली (राज.)



आदेश आज दिनांक 14-5-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।